तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **वाद संख्या 34/2022 अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.एक्ट. 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956** **उनवानी नारंगी कंवर आदि बनाम घीसूसिंह आदि** GCMS 2022/44	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.04.2022	**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रार्थी घीसूसिंह पुत्र रूड़मल जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी वाद में प्रतिवादी संख्या 1** पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है। विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण के वादीगण के हक पूर्वाधिकारी मंगेजाराम पुत्र श्री अरजाराम जाति दरोगा निवासी नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी न्यायालय हाजा में पूर्व से विचाराधीन वाद संख्या 133/2015 उनवानी घीसूसिंह बनाम राजेश आदि में बतौर प्रतिवादी संख्या 4 अंकित है। जिसकी जानकारी हस्तगत प्रकरण के वादीगण को है। इसके बावजूद भी वादीगण ने हस्तगत नया वाद न्यायालय हाजा में पेश किया। इन्हे उसी विवादित भूमि के संबंध में नया वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इनका वाद पत्र नारंगी कंवर आदि बनाम घीसूसिंह आदि धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज होने योग्य है। विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 34/2022 नारंगी कंवर आदि बनाम घीसूसिंह आदि को मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे। विद्वान योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुकदमा नम्बर 133/2015 उनवानी घीसुसिंह बनाम राजेश आदि वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार है। लेकिन वादी का यह वाद प्राथमिक स्टेज तलबी में ही चल रहा है और प्रतिवादी संख्या 4 का भी देहान्त हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है और उसके विधिक वारीसान को भी आज दिन तक पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण द्वारा पेश किया गया उक्त उनवानी प्रकरण और पूर्व में पेश प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश किये गये वाद के पक्षकार भिन्न है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश किये गये वाद के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने हिस्से का बेचान वादीगण द्वारा पेश किये गये उक्त उनवानी प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया। वादीगण द्वारा पेश वाद व पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार भिन्न [illegible] वाद का अनुतोष भिन्न होने से वादीगण द्वारा पेश [illegible] नी प्रकरण धारा 10 सी.पी.सी. की परिधि [illegible] ी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से [illegible] है। विद्वान योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त अवलोकन परीक्षण किया गया और दोनों पक्षों के योग्य विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् से स्पष्ट हुआ है कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 133/2015 उनवानी घीसूसिंह बनाम राजेश आदि अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि खसरा नम्बर 242, 237, 239, 240 एवं 2397/1162 को लेकर न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त वाद में वादीगण का हक पूर्वाधिकारी मंगेजाराम पुत्र अरजाराम जाति दरोगा निवासी नगंली सलेदीसिंह बतौर प्रतिवादी संख्या 4 अंकित है तथा दिनांक 16.03.2016 को अपने हक के लिये जवाब दावा एवं प्रतिदावा पेश कर चुका है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 4 मंगेजाराम पुत्र अरजाराम जाति दरोगा निवासी नगंली सलेदीसिंह की मृत्यु हो चुकी है या नहीं का कोई उल्लेख अंकित नहीं है। वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उनके हक पूर्वाधिकारी का देहान्त हुये काफी समय व्यतीत हो चुका है और उसके विधिक वारीसान को भी आज दिन तक पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण ने यह स्वीकार किया है कि उनके हक पूर्वाधिकारी मंगेजाराम पुत्र अरजाराम जाति दरोगा निवासी नगंली सलेदीसिंह की मृत्यु हो चुकी है इसके बावजूद भी उन्हे पूर्ववर्ती वाद की जानकारी होते हुये भी उनके द्वारा मृत्यु की सूचना न्यायालय हाजा को नहीं दी और नया वाद न्यायालय हाजा में पेश कर दिया। पूर्ववर्ती वाद एवं हस्तगत वाद राजस्व ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि खसरा नम्बर 242, 237, 239, 240 व 2397/1162 के विवाद को लेकर संस्थित हुये है। दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु एवं पक्षकार समान है। केवल पूर्ववर्ती वाद के प्रतिवादी पक्ष के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के स्थान पर हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 2 देवेन्द्र सिंह शेखावत नया पक्षकार जोड़ा गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया, जिसमें प्रावधित किया गया है कि :– कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य–विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पत्र अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा।

हस्तगत प्रकरण में धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान बखूबी लागू होते है। चूंकि पूर्ववर्ती वाद संख्या 133/2015 घीसूसिंह बनाम राजेश आदि में वादीगण का हक पूर्वाधिकारी मंगेजाराम बतौर प्रतिवादी संख्या 4 दर्ज है तथा अपने हक के लिए जवाब दावा व प्रतिदावा दिनांक 16.03.2016 को पेश कर चुका है। पूर्ववर्ती वाद की जानकारी होना वादीगण/अप्रार्थीगण स्वयं ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.2022 में स्वीकार किया है। वादीगण का यह दायित्व था कि वे अपने हक पूर्वाधिकारी मंगेजाराम की मृत्यु की सूचना पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय हाजा को देते व बतौर मंगेजाराम के विधिक वारिसान के रूप में पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार बनते [illegible] पक्षकार उत्पन्न हुआ हो तो उसकी सूचना भी न्याया[illegible] को देते। पूर्ववर्ती वाद की समुचित जानकारी होते हुये [illegible] सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया की पालना [illegible] दायित्व का निर्वहन नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार कर हस्तगत वाद संख्या 34/2022 GCMS नं. 2022/44 उनवानी

उपखण्ड [illegible]धिकारी, खेतड़ी

नारंगी कंवर आदि बनाम घीसूसिंह आदि खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested